न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण सं. 03/2020 प्रार्थना पत्र (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2020/00081

1. श्री भगवतसिंह पिता गमेर सिंह निवासी–नाड़(परमदा), तहसील–गिर्वा, उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपा पिता हीरा गायरी निवासी–नाड़(परमदा), तहसील–गिर्वा, उदयपुर (राज.)

.....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता नारू लौहार निवासी–कुराबड़, तहसील–गिर्वा, ज़िला–उदयपुर, राजस्थान
2. श्री बालकृष्ण पिता भागीरथ तेली निवासी–कुराबड़, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर, राजस्थान
3. श्री विक्रमसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत मृतक के बजाय श्री शक्तिसिंह पुत्र विक्रमसिंह राजपूत निवासी–कुराबड़, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर, राजस्थान
4. ग्राम पंचायत परमदा जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत परमदा, तहसील–गिर्वा, जिला–उदयपुर, राजस्थान

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा पारित संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.1987 तथा विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.04.1988

उपस्थित :– (1) श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
(2) महेन्द्र मेनारिया विपक्षी संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांकः– 20/05/2015

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल पिता नारू लुहार के आवेदन पर तत्कालीन ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा एक पट्टा दिनांक 30.04.1988 को जारी किया गया जो ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.1987 की पालना में जारी किया गया। उक्त पट्टा बिलानाम काबिल काश्त भूमि का जारी होने से कानूनन नियम एवं जनहित के विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के है। ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

उक्त पट्टा राजस्व ग्राम परमदा की आराजी संख्या 892/1152 रकबा 0.3000 हैक्टेयर बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि जो परमदा के धोबी घाट पर स्थित है, का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे के पडौस उक्त आराजी में स्थित भूखण्ड के बताये गये हैं, जिस पर हम निगरानीकार का कब्जा बतौर मवेशियों के घास वगैरा रखने के रूप में 30–35 वर्षो से चला आ रहा है। ग्राम पंचायत को हल्का आबादी का विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है, जबकि ग्राम पंचायत कुराबड़ ने काननू कायदे एक तरफ रख बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि का नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया गया जो कानूनन गलत होकर काबिल निरस्त के है। उक्त गलत व नियम विरूद्ध पट्टे की आड़ में विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल लुहार मौके पर भूखण्ड का कब्जा लेने आया तो वहां पर हम निगरानीकार का कब्जा होकर घास–फूस पड़ा होने से कब्जा प्राप्त नहीं कर सका। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर विवादित भूखण्ड को विपक्षी संख्या 2 व 3 क्रमशः बालकृष्ण व विक्रमसिंह को रुपये 50,000/– में बिकाव कर दिया जबकि उक्त पट्टा फर्जी एवं काननू विरूद्ध होकर बिलानाम भूमि का जारी किया हुआ था। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल ने सरकारी भूमि को रुपये 50,000/– में विपक्षी संख्या 2 व 3 को बिकाव कर पंजीयन करा दिया। इस प्रकार विपक्षीगण ने सरकारी सम्पति का दुरूपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त किया है, जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दण्डनीय अपराध है, उक्त बिकावनामा भी अवैध होकर शून्यप्रभावी है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को बताया गया कि आपने हमारे पंचायत की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 892/1152 का गलत रूप से विधि विरूद्ध पट्टा जारी कराया है, उक्त भूमि वर्ष 1987–88 में आबादी के रूप में दर्ज नहीं थी, जिस पर विपक्षीगण ने कहा कि हम उक्त पट्टे को पंचायत से निरस्त करवा देंगे व भविष्य में कभी भी उक्त भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिस पर प्रार्थी निश्चिन्त हो गये व अवैध पट्टे के निरस्तीकरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 20.02.2020 को विपक्षीगण अपने साथ वाहनों में 10–15 गुण्डा तत्वों को लेकर आये व उक्त विवादित भूखण्ड पर अवैध पट्टे की आड़ में हम प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने की नीयत से लड़ाई–झगड़ा करने लगे व धमकी दी कि हमारे पास ग्राम पंचायत कुराबड़ का पट्टा है व हम इस भूखण्ड कर कब्जा करके रहेंगे और यदि हम कब्जा नहीं कर पाये तो इस भूखण्ड को अन्य लोगों को बेच देंगे। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा नियम विरूद्ध व फर्जी पट्टे को सही बताकर अन्य लोगों को विवादित भूखण्ड को बेचने की धमकी दे रहे है। पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत को आबादी हल्का भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, जबकि बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम कानून को

जिला कलक्टर
उदयपुर

ताक में रखकर विपक्षीगण से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर सरकारी सम्पति का दुरूप्योग किया है, जिसके लिए तत्कालीन सरपंच दोषी है। विवादित पड़ौसों के मध्य स्थित भूखण्ड जिसका पट्टा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, उक्त भूखण्ड बिलानाम काबिल काश्त आराजी संख्या 892/1152 में स्थित है, जिसका वर्ष 1987–88 में आबादी में कन्वर्जन नहीं होकर बिलानाम भूमि थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का से भूखण्ड की स्थल की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त न कर पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के है। अतः निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा पारित संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.1987 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त संकल्प की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 30.04.1988 को भी निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा पारित संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.1997 की पालना में विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल पिता नारू लुहार को एक पट्टा दिनांक 30.04.1998 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा उक्त पट्टा राजस्व ग्राम परमदा की आराजी संख्या 892/1152 रकबा 0.3000 हैक्टेयर बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि जो परमदा के धोबी घाट पर स्थित है, का पट्टा जारी करना बताया। उक्त पट्टे के पड़ौस उक्त आराजी में स्थित भूखण्ड के बताये गये है, जिस पर हम प्राथीगण/निगरानीकार का कब्जा बतौर मवेशियों के घास वगैरा रखने के रूप में 30–35 वर्षो से चला आ रहा था। ग्राम पंचायत को हल्का आबादी का विक्रय–विलेख(पट्टा) जारी करने का अधिकार है, जबकि ग्राम पंचायत कुराबड़ ने कानून कायदे एक तरफ रख बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि का नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया जो कानूनन गलत होकर उक्त संकल्प व पट्टा काबिल निरस्त योग्य है। उक्त गलत व नियम विरूद्ध पट्टे की आड़ में विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल लुहार मौके पर भूखण्ड का कब्जा लेने आया तो हम निगरानीकार का कब्जा होकर घास–फूस पड़ा होने से कब्जा प्राप्त नहीं कर सका। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त विवादित भूखण्ड को विपक्षी संख्या 2 व 3 क्रमशः बालकृषण एवं विक्रम सिंह को 50,000/– रुपये में बिकाव कर दिया जबकि उक्त पट्टा फर्जी एवं कानून विरूद्ध होकर बिलानाम भूमि का जारी किया हुआ था। इस प्रकार विपक्षीगण ने सरकारी सम्पति का

जिला कलक्टर
उदयपुर

दुरुपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त किया है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है उक्त बिकावनामा भी अवैध होकर शुन्य प्रभावी है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को बताया कि आपने हमारे पंचायत कि बिलानाम भूमि आराजी संख्या 892/1152 का गलत रूप से विधि विरूद्ध पट्टा जारी कराया है, उक्त भूमि वर्ष 1987–88 में आबादी के रूप में दर्ज नहीं थी, जिस पर विपक्षीगण ने कहा कि हम उक्त पट्टे को पंचायत से निरस्त करवा देंगे व भविष्य में कभी भी उक्त भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस पर प्रार्थी निश्चिन्त हो गये व अवैध पट्टे के निरस्तीकरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 20.02.2020 को विपक्षीगण अपने साथ वाहनों में 10–15 गुण्डा तत्वों को लेकर आये व उक्त विवादित भूखण्ड पर अवैध पट्टे की आड़ में हम प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने की नीयत से लड़ाई–झगड़ा करने लगे व धमकी दी कि हमारे पास ग्राम पंचायत का पट्टा है व हम इस भूखण्ड पर कब्जा करके रहेंगे और यदि हम कब्जा नहीं कर पाये तो इस भूखण्ड को अन्य लोगों को बेच देंगे। उक्त भूखण्ड बिलानाम काबिज काश्त आराजी संख्या 892/1152 मे स्थित है, जिसका वर्ष 1987–88 में आबादी में कन्वर्जन नहीं होकर बिलानाम भूमि थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का से भूखण्ड की स्थल की तथ्यात्मक रिपोर्ट न कर पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध होकर खारिज योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा पारित संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.1987 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त संकल्प की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 30.04.1988 का भी निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत करना अंकित किया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.12.1987 के पारित संकल्प संख्या 48/87 एवं पट्टा दिनांक 30.04.88 को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण को उक्त पट्टे की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, परन्तु केवलमात्र विपक्षीगण. को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 2 ने पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 19.04.2012 को निष्पादित एवं 10.05.2012 को पंजीकृत से क्रय किया। क्रय करने के पश्चात् अपने आधिपत्य के भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, तो प्रार्थीगण द्वारा लड़ाई झगड़ा किया जाने लगा जिस पर विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध थाना कुराबड़ में रिपोर्ट कराई एवं सारे दस्तावेज पेश किए जिस पर प्रार्थीगण के पट्टे की जानकारी सन् 2012 में एवं इससे पूर्व इसी गांव के निवासी होने से हो चुकी थी, परन्तु वर्ष 2012 से 2020 तक प्रार्थीगण द्वारा पट्टे को

जिला कलक्टर
उदयपुर

निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र विपक्षीगण को द्वेषतावश परेशान एवं ब्लेकमेल करने के दुष्प्रयोजन से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो की मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 2 सद्भाविक क्रेता है, जिसने उचित विक्रय मूल्य अदा कर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.04.12/10.05.12 से प्रश्नगत भूखण्ड क्रय किया। विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा विधि व नियमानुसार जारी पट्टे का अवलोकन कर विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उपपंजीयक कुराबड़ के समक्ष विक्रय विलेख विक्रेता/विपक्षी संख्या 1 से अपने पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया। विपक्षी संख्या 2 ने उचित विक्रय प्रतिफल अदा कर प्रश्नगत भूखण्ड क्रय किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 2 को संपति अंतरण अधिनियम के तहत हस्तांतरित के भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार का आदेश प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय की गई भूमि के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा विधि व नियमानुसार पट्टा जारी किया गया एवं उसी के आधार पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से भूखण्ड खरीदा गया। प्रार्थीगण ने नियत अवधि में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की। ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा पट्टा जारी किया गया इसलिए ग्राम पंचायत कुराबड़ को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, इसलिए भी प्रार्थीगण की यह निगरानी पोषणीय नहीं होकर निरस्त कराये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहरते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हित एवं अधिकार के केवलमात्र विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी कोई हित, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं रहा है ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए है। प्रार्थीगण की निगरानी प्रस्तुत करने के लिए कोई लॉकसस्टेण्डाई नहीं है। विपक्षी संख्या 2 ने सद्भाविक रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से आज से 12 वर्ष पूर्व ही भूखण्ड क्रय कर लिया था। प्रार्थीगण विपक्षीगण से द्वेषता रखते है, इसलिये यह निगरानी प्रस्तुत की है। पूर्व पट्टाधारी/हितधारी विपक्षी संख्या 1 के 1988 से हित, अधिकार एवं आधिपत्य प्रोद्भूत होकर परिपक्व हो चुके थे, तत्पश्चात् यह अधिकार उत्तरदाता विपक्षी संख्या 2 जो कि पश्चातवर्ती हस्तान्तरीति है, इसलिये सारे अधिकार उसमें निहित हो चुके है। ग्राम पंचायत कुराबड़ द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत मिसल तैयार करते हुए कोरम की बैठक में प्रश्नगत भूखण्ड को विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी करने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत आपत्ति आदि मंगाई गई जिसमें भी प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा निलामी रकम

जिला कलक्टर
उदयपुर

1200/– रुपये नियम 271 के तहत जमा करा पट्टा प्राप्त किया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 ने नियमानुसार जारी पट्टे के आधार पर उपपंजीयक कुराबड़ के समक्ष पंजीकृत विक्रय विलेख से यह भूखण्ड प्राप्त किया एवं उस पर काबिज होकर उसके उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी है। प्रार्थीगण ने लगातार इस पट्टे की जानकारी होने के बावजूद 32 वर्ष पश्चात् निगरानी प्रस्तुत करना केवलमात्र द्वेषता परेशान करने एवे ब्लैकमेल करना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। विपक्षीगण के अधिकार प्रश्नगत भूखण्ड पर उत्पन्न होकर परिपक्व हो चुके है एवं वर्तमान एवं पूर्व से ही प्रश्नगत भूखण्ड व आस–पास की भूमि पर मकान, दुकाने बनी होकर आबादी के रूप में उपयोग–उपभोग की ज़ा रही है, जिससे विपक्षीगण को पिछले 32 वर्षो से शान्तिपूर्ण, निरन्तर, निर्बाध स्वामित्व एवं आधिपत्य है, जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण को किसी प्रकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीरात अधिनियम सव्यय निरस्त कराया जावे एंव विपक्षीगण को प्रार्थीगण से रुपये 25,000/– क्षतिपुरक व्यय के रूप में प्रदान कराये जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की–

1. 2008(2) DNJ (Raj.) Page 735
2. 2002(1) DNJ (Raj.) Page 307
3. 2015(4) DNJ (Raj.) Page 1853
4. 2007(2) DNJ (Raj.) Page 975
5. RRT 2018-19 (Supp.) Page 125
6. 2021(2) RRT Page 1301
7. 2009(1) RRT Page 152
8. 2016(1) DNJ (Raj.) Page 201

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कुराबड की रिपोर्ट अनुसार मौके पर दोनो पक्षकारान एवं उनके पक्ष के लोगो ने अपना–अपना कब्जा बताया है अर्थात भूखण्ड पर कब्जे के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही है। निगरानीकर्ता का कथन है कि पट्टा जारी किये जाने के समय उक्त भूमि आबादी के रूप मे दर्ज नही थी। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के आदेश क्रमांक 496–98 दिनांक 18.02.2006 से ग्राम पंचायत के नाम आबादी हुई है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम परमदा के आराजी नंबर 892/1152 रकबा 0.3000 हैक्टेयर किस्म आबादी होकर ग्राम पंचायत परमदा

जिला कलक्टर
उदयपुर

आबादी हेतु आरक्षित हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड होना बताया है। पट्टा जारी किये जाने के समय वर्ष 1987 की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। ना ही निगरानीकार यह पूर्णतया सिद्ध कर पाया है कि जिस भूखण्ड का पट्टा दिया गया है वह भूमि तत्समय आबादी नहीं थी। साथ ही प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा लगभग 43 वर्ष पुराना होकर वर्ष 1987 में जारी किया जाना पाया जाता है। स्वयं निगरानीकार द्वारा यह कथन किया गया है कि जिस भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया उसे वर्ष 2006 में आबादी के रूप में दर्ज किया गया है। यदि इस स्थिति को भी माना जाये तो भी वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को नियमित करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया है या अन्य क्या स्थिति बनती है स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुराबड़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे तहसीलदार कुराबड़ से समन्वय स्थापित कर एक माह में विचाराधीन निगरानी संकल्प संख्या 48/87 दिनांक 21.12.87 एवं आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 30.04.1988 के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों एवं विवादित भूमि के भूखण्ड पर कब्जा, निर्माण संरचना, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण पालना में किये जाने अथवा नहीं किये जाने तथा पट्टा जारी किये जाने के वक्त भूमि आबाद़ी होने या नहीं होने आदि तथ्यों की विधिवत जांच करें तथा बाद जांच यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर पर उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही मे अनियमितता पाई जावे जिससे विचाराधीन निगरानी में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया दूषित हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। इतने पुराने पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली ग्राम पंचायत कुराबड़, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुराबड़ एवं तहसीलदार कुराबड़ को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर